भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3220
दिनांक 06 अगस्त, 2026

नए तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज

3220. **श्री अरुण गोविलः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, अंडमान और अन्य क्षेत्रों में नए तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज अथवा हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति की पुष्टि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वे क्षेत्र कौन-से हैं जहां ऐसी खोजों के आधार पर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की संभावना है तथा यह उत्पादन किस समय तक शुरू होने की संभावना है;

(ग) ऐसी खोजों के माध्यम से देश के तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में किस हद तक वृद्धि होने तथा इसकी आयात निर्भरता में किस हद तक कमी आने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार देश में नए तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के अन्वेषण में तेजी लाने के लिए कोई विशेष पहल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) पिछले 3 वर्षों में 28 हाइड्रोकार्बन खोजों को अधिसूचित किया गया है।

(ख) हाइड्रोकार्बन खोजों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पहले तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकनों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। इनमें मूल्यांकन वेधन, रिजरवायर अध्ययन, विस्तारित कूप परीक्षण, क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) की तैयारी करना, सांविधिक और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना तथा उत्पादन सुविधाओं की स्थापना सहित विकास से संबंधित वेधन करना शामिल है। वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत इन सभी गतिविधियों के सफल समापन और खोजों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करती है।

(ग) घरेलू तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन में नए खोजे गए हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों के योगदान का आकलन, मूल्यांकन गतिविधियों के पूरा होने, पुनर्प्राप्त करने योग्य भंडार के अनुमान, क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) की स्वीकृति और वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के बाद ही किया जा सकता है।

(घ) सरकार ने देश में नए तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की खोज में गति लाने के लिए कई नीतियों को लागू किया है, जिसका विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

"नए तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज" के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को श्री अरुण गोविल द्वारा पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3220 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत नीति, 2014;

ii. खोजे गए छोटे क्षेत्र संबंधी नीति, 2015;

iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016;

iv. पीएससी के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017;

v. कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017;

vi. राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी की स्थापना, 2017;

vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी बेसिनों में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन;

viii. तेल और गैस के लिए उन्नत वसूली विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए नीति, 2018;

ix. मौजूदा क्षेत्रों के तहत अपारंपरिक हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और दोहन के लिए नीति, 2018;

x. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिन के तहत ओएएलपी ब्लॉकों के चरण-I में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और न कोई वेधन प्रतिबद्धता, 2019;

xi. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020;

xii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) "नो-गो" क्षेत्र को मुक्त करना, जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था;

xiii. 2023 में जारी किए गए संशोधित घरेलू मूल्य दिशानिर्देश;

xiv. व्यापार में सुगमता, संविदात्मक स्थिरता, प्रचालन दक्षता और विवाद समाधान, 2025 में गति लाने के लिए तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में संशोधन;

xv. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 की अधिसूचना;

xvi. हाइड्रोकार्बन संसाधनों और भंडार को बढ़ाने तथा उनका समय पर उत्पादन के रूप में रूपांतरण सक्षम बनाने के उद्देश्य से समुद्र मंथन के तहत राष्ट्रीय गहरे समुद्र समुद्री अन्वेषण मिशन की घोषणा की गई है।

xvii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी बेसिन में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।

xviii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) "नो-गो" क्षेत्र को मुक्त करना, जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था;

xix. सरकार ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के बाहर 20,000 एलकेएम और अपतटीय क्षेत्र में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त, 2 डी भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है।

xx. सभी भारतीय तलछटी बेसिन में संसाधन के मूल्यांकन के लिए दिनांक 17.07.2025 को हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन (एचआरएएस 2025) शुरू किया गया है।

xxi. कच्चे तेल और केसिंग हेड कंडेनसेट के उत्पादन के लिए रॉयल्टी दरों को दिनांक 08.05.2026 और 04.06.2026 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

xxii. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030-31 तक 84084 करोड़ रुपए के चरण-1 के परिव्यय सहित राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना हेतु 31 जुलाई 2026 को 'समुद्र मंथन' को मंजूरी प्रदान की है।